न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

नाम पीठासीन अधिकारीः– ओमप्रकाश सिंघल | निर्णय दिनांक :– 28.10.2022

सरकार बनाम रतन सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपुत निवासी हीरवाना तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मुकदमा नम्बर :–116/2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :– 28.10.2022

–: आदेश :–

भू.अ. निरीक्षक केड एंव पटवारी पटवार हल्का मैनपुरा द्वारा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई है कि ग्राम हीरवाना के भूमि ख.न. 232, 233, रकबा 0.61 है0 किस्म, गै0मु0 पहाड में से 0.40 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्मी रतन सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपुत निवासी हीरवाना द्वारा उक्त भूमि पर कृषि बाजरा कर अतिक्मण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्मी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी /अतिक्मी द्वारा दिनांक 26.08.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जो निम्न प्रकार से है:– यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम हीरवाना के खसरा नम्बर 232, 233, में 0.40 है0 किस्म गै0मु0पहाड राजकीय भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्मण किया जाना बताया गया है। ग्राम हीरवाना के उक्त खसरा नम्बर 232, 233, के संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो कि बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज काश्तकार है तथा जानबूझकर किसी प्रकार का अतिक्मण नहीं कर रखा है प्रार्थी के खेत की सीमाएं अस्पष्ट होने के कारण यदि कोई अतिक्मण हुआ है तो प्रार्थी द्वारा उसे हटा लिया जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके खेत की सीमाओं का ज्ञान करवाया जावे तथा प्रार्थी के विरूध श्रीमानजी के न्यायालय में विचाराधिन प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एंव पटवारी हल्का, अप्रार्थी/अतिक्मी जवाब एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम हीरवाना के भूमि ख.न. 232, 233, रकबा 0.1500 है0 किस्म, गै0मु0 पहाड में से 0.1500 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्मी रतन सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपुत निवासी हीरवाना द्वारा किया गया अतिक्मण अवैध अतिक्मण होने के कारण प्रार्थी को अतिक्मी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक केड को इस अवैध अतिक्मित भूमि पर से अतिक्मी को भौतिक रूप से वेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्मी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्मण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.00 का 50 गुणा 50/– रूपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एंव तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक.................को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Singhal
Date: 2022.11.04 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

नायब तहसीलदार गुढागौड़जी